न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/50

कवरा आत्मज भैरू जाति बलाई निवासी ग्राम अशोक नगर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।
---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 20.08.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी अपीलान्ट कवरा आत्मज भैरू जाति बलाई निवासी अशोक नगर को ग्राम अशोक नगर की आराजी खसरा नम्बर 2139 रकबा 05 बीघा भूमि दिनांक 31.12.1975 को कीमतन आवंटित की गई थी ।

3. आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि जमा नहीं करने तथा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाना मानते हुए प्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.07.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 31.12.1975 को निरस्त कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आवंटन खारिज कर दिया । अपीलान्ट आवंटी का आवंटन के समय से ही उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । हल्का पटवारी ने जानबूझकर झूठी रिपोर्ट पेश की है । अपीलान्ट अपने कब्जे बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत करता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही आवंटन खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन की पत्रावली को तलब नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट बडानया गॉव ले जाकर अपीलान्ट का आवंटन खारिज कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा सूचना देने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2139 रकबा 05 बीघा ग्राम अशोक नगर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी अपीलान्ट को आवंटित हुई थी और आवंटन के समय से ही इस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट ने आवंटन शर्तो की पालना की है । बकाया राशि कोई नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । अपीलान्ट ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है ।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया था कि अपीलान्ट को 31.12.1975 को वादग्रस्त आराजी आवंटित हुई थी । आराजी पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक आवंटी का कब्जा नहीं है । भूमि की बकाया राशि मय ब्याज जमा नहीं करवायी गई है । अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं है कि आवंटन किन नियमों के तहत किया गया है । आवंटन की पत्रावली भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है । बिना पत्रावली का अवलोकन किये यह विनिश्चिय नहीं किया जा सकता कि आवंटन किन नियमों के तहत किया गया था ओर कितनी किश्त की राशि मय ब्याज जमा नहीं करवायी गई है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण किया है । लोक अदालत में अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए हैं । पत्रावली पर एक रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है वरन् सुरजीत सिंह का कब्जा है परन्तु आवंटी का कब्जा कब से नहीं है यह इस रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं है । आवंटन सन् 1975 का है, आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के तुरन्द बाद के 02 वर्षों में आराजी पर काश्त की गई है अथवा नहीं, यह देखा जाना महत्वपूर्ण होता है । पत्रावली पर संलग्न खसरा गिरदावरी संवत् 2070 की पेश की है । आवंटन के तुरन्त के बाद की खसरा गिरदावरी संलग्न नहीं की गई है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । आधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए, आवंटन की पत्रावली तलब कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा